

भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या: 2883

बुधवार, 10 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने के लिए

विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि

2883. श्री नलीन कुमार कटील:

श्री बी. वाई. राघवेन्द्र:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या यह सच है कि वृद्धि के मामले में गत दशकों में संपूर्ण जीडीपी वृद्धि की तुलना में भारत के विनिर्माण क्षेत्र का कार्य-निष्पादन कम रहा है;
- (ख) यदि हां, तो इस क्षेत्र की वृद्धि का ब्यौरा क्या है;
- (ग) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान भारत की जीडीपी में विनिर्माण के हिस्से का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार का संवहनीय आर्थिक वृद्धि के लिए विनिर्माण को योगदान योग्य बनाने का कोई प्रस्ताव है; और
- (ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वाणिज्य और उद्योग मंत्री

(श्री पीयूष गोयल)

(क) और (ख): भारत की विनिर्माण सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि वर्ष 2005-06 से स्थिर (2011-12) कीमतें नीचे तालिका में दी गई हैं:

स्थिर (2011-12) कीमतों पर विनिर्माण जीवीए और जीडीपी की वृद्धि दर (प्रतिशत में)		
वर्ष	विनिर्माण की वृद्धि दर	जीडीपी की वृद्धि दर
2005-06	9.3	7.9
2006-07	17.8	8.1
2007-08	7.0	7.7
2008-09	4.7	3.1
2009-10	11.0	7.9
2010-11	7.7	8.5
2011-12	3.1	5.2
2012-13	5.5	5.5
2013-14	5.0	6.4
2014-15	7.9	7.4
2015-16	13.1	8.0
2016-17	7.9	8.2
2017-18	5.9	7.2
2018-19	6.9	6.8

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के आंकड़े अनंतिम हैं

(ग): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जीडीपी के नवीनतम उपलब्ध अनुमानों के अनुसार, पिछले तीन वर्षों के दौरान स्थिर कीमतों पर वर्ष 2011-12 में जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन की हिस्सेदारी नीचे तालिका में दी गई है:

स्थिर कीमतों वर्ष (2011-12) पर में सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण जीवीए की हिस्सेदारी (प्रतिशत में)

	2016-17	2017-18	2018-19
विनिर्माण की हिस्सेदारी	16.7	16.5	16.5

स्रोत: राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय

वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के आंकड़े अनंतिम हैं

(घ) और (ङ):

सरकार विनिर्माण और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लगातार कदम उठा रही है। इसका लक्ष्य मौजूदा विनियमों और प्रक्रियाओं को आसान बनाकर तथा अनावश्यक अपेक्षाओं और प्रक्रियाओं को समाप्त कर अनुकूल माहौल पैदा करना है। 'मेक इन इंडिया' कार्यक्रम का लक्ष्य भारत को विनिर्माण, अनुसंधान और नवप्रयोग के लिए वैश्विक केंद्र तथा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला का अनिवार्य अंग बनाना है। घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए 'स्टार्ट-अप इंडिया', 'व्यवसाय करने में आसानी', संशोधित औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, व्यवसाय सुधार कार्य योजना, बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर) नीति आदि जैसी स्कीमों के भाग के रूप में अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) नीति और प्रक्रियाओं को उत्तरोत्तर सरल और उदार बनाया गया है।
